न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 10/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवजी राम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां (राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री राम ट्रेडर्स बारां प्रो. रामबाबू विजयवर्गीय पुत्र श्री मूलचन्द जाति विजयवर्गीय निवासी लालबाई का चौक, शिवाजी नगर, बारां जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 30.05.2022

1– प्रार्थी श्री शिवजी राम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना अनुसार दिनांक 23.04.2018 को प्रार्थी हमराह श्री ज्ञानचंद मीणा, वृत्त निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी बारां, श्री यशपाल सिंह परिचालक राजस्थान परिवहन निगम बारां, श्री धनराज शर्मा चालक राजस्थान परिवहन निगम बारां शहर के किराना दुकानदार श्री रामबाबू पुत्र मूलचन्द उम्र 45 वर्ष निवासी लालबाई का चौक, शिवाजी नगर बारां हाल श्रीराम ट्रेडर्स अम्बेडकर सर्किल की शिकायत पर उसके प्रतिष्ठान श्रीराम ट्रेडर्स के गोदाम पर पहुंचे। मौके पर श्री रामबाबू विजयवर्गीय दुकानदार के सामने उसके गोदाम की जांच की गई। वक्त जांच आवासीय जनजाति विद्यालयों में वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री में उड़द दाल एक सीलबंद कट्टा मिला जिस पर **"जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर" "Not For Sale" NCCF** का मार्का अंकित है। इस कट्टे का वनज 20 किलोग्राम है। इसके अतिरिक्त गोदाम के दोनों कमरों एवं दुकान में रखे अन्य सामान की जांच करने पर अन्य कोई वस्तु/सामग्री ऐसी नहीं पायी गयी जो आवासीय विद्यालयों एम.डी.एम. की सामग्री हो। उक्त दुकानदार से कट्टे आपूर्तिकर्ता के नाम पते की पूछताछ की गई किन्तु उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया न ही खरीद सम्बन्धी कोई दस्तावेज मौके पर उपलब्ध करवाये [illegible] किराये का है जिस पर गोदाम मालिक श्री गंगाधर पुत्र श्री प्रभूलाल [illegible] मोहल्ला अम्बेडकर सर्किल के पास बारां द्वारा दिये गये बयानों में [illegible] दो वर्ष में दोनो बाहर के कमरे रामबाबू विजयवर्गीय किराना दुकानदार को किराये पर दे रखे हैं। मशीन [illegible] मिला हुआ उड़द का कट्टा गोदाम मालिक श्री गंगाधर पुत्र श्री [illegible] लाल माली निवासी [illegible] मोहल्ला अम्बेडकर सर्किल के पास बारां की सुपुर्दगी में सुरक्षा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए प्लास्टिक के कट्टे में सीलबंद करवाकर सुपुर्दगी में दिया गया तथा विभाग अथवा न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर यथास्थिति में उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद किया गया। उक्त सीलबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

कट्टा जिस पर **"जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर" "Not For Sale" NCCF** का मार्का अंकित है जनजाति आवासीय विद्यालयों मे खाद्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है तथा खुदरा बाजार में नहीं बेच सकते हैं तथा सरकारी विद्यालयों में वितरण किये जाने वाली सामग्री व्यापारी द्वारा खुदरा में बाजार में बेचना गैर कानूनी है। अतः 20 किग्रा. उड़द दाल मय बारदाना को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी दिनांक 23.05.2018 को स्वंय उपस्थित हुआ इसके पश्चात अप्रार्थी बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहा।

3— ऐसी स्थिति में दिनांक 16.05.2022 को प्रकरण में पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस समाअत की गई।

4— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जब्तशुदा उड़द दाल 20 किग्रा. मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा उड़द दाल वजनी 20 किग्रा. मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— हमने पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर लालबाई का चौक शिवाजी नगर, बारां पहुंचकर **"जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर" "Not For Sale" NCCF** अंकित एक सीलबंद कट्टा उड़द दाल 20 किग्रा. श्री रामबाबू विजयवर्गीय पुत्र श्री मूलचंद जाति विजयवर्गीय निवासी लालबाई का चौक, शिवाजी नगर, बारां के गोदाम से जब्त किया गया। उक्त अंकित मार्का की सामग्री जनजाति आवासीय विद्यालयों मे खाद्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त होती है तथा सरकारी विद्यालयों में वितरण किये जाने वाली सामग्री व्यापारी द्वारा खुदरा में बाजार में बेचना गैर कानूनी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त की गई उड़द दाल 20 किग्रा. मय बारदाना का खुदरा बाजार में बेचना गैर कानूनी है। जिस पर प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा उड़द दाल 20 किग्रा. मय बारदाना को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 20 किग्रा. उड़द दाल मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा उड़द दाल की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:52:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)